(आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22.10.2018 को अपलोड किया जाए)

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं श्रेणी 'घ'` परीक्षा, 2018

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख : 22.10.2018 से 19.11.2018 तक
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 19.11.2018 (अपराह्न 5:00 बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 21.11.2018(अपराह्न 5:00 बजे)
ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि : 21.11.2018(अपराह्न 5:00 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 26.11.2018
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख : 01.02.2019 से 06.02.2019 तक

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

फा. सं. 3/3/2018-(नी. व यो.-II) : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए आशुलिपिक श्रेणी 'ग'(समूह 'ख' अराजपत्रित) और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह 'ग') की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इस परीक्षा के लिए केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनके पास पैरा-13 (ड़) में यथा-उल्लिखित आशुलिपि में अपेक्षित कौशलता है।

2. रिक्तियां : (क) रिक्तियों की संख्या यथा-समय निर्धारित की जाएगी।

(ख) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की रिक्तियां देशभर में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में हैं।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण और उपयुक्तता :

(क) अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जन जातियों (अजजा), अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) , भूतपूर्व सैनिकों(भूपूसै) और दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, जहां कहीं लागू और अनुमत्य है, मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों द्वारा विद्यमान सरकारी आदेशों के अनुसार इसका निर्धारण और सूचना दी जाएगी

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों हेतु विद्यमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार रिक्तियां आरक्षित हैं।

(ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। तथापि , सीमा सड़क

संगठन(बी.आर.ओ.) के लिए पदों की उपयुक्तता और शारीरिक एवं चिकित्सीय मानकों की आवश्यकता अनुबंध-XV में दिए गए ब्यौरों के अनुसार होगी।

(घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। तथापि , सीमा सड़क संगठन(बी.आर.ओ.) के लिए पदों की उपयुक्तता और शारीरिक एवं चिकित्सीय मानकों की आवश्यकता अनुबंध-XV में दिए गए ब्यौरों के अनुसार होगी।

(ङ) कृपया नोट करें कि आशुलिपिकों के पद श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए हैं।

टिप्पणी : जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यधीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण) (पैरा 2.2)के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी http://.ssc.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता की किस्म	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता।	अस्थि दिव्यांग
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	अन्य
(ङ)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडो के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं	

4. राष्ट्रीयता/नागरिकताः

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी,जायरे, इथिओपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5. आयु सीमाः

(क) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' : 01.01.2019 को 18 से 30 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1989 को या उसके पश्चात और 01.01.2001 को या उससे पूर्व हुआ हो) ।

(ख) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' : 01.01.2019 को 18 से 27 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1992 को या उसके पश्चात और 01.01.2001 को या उससे पूर्व हुआ हो) ।

(ग) उपरोक्त पैरा 5(क) और 5 (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अ पि व	03 वर्ष
3.	शा दि(अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा दि (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा दि (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7.	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर,1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों।	5 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष

9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
केवल समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट		
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक
14.	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क	45 वर्ष की आयु तक
15.	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क(अजा/अजजा)	50 वर्ष की आयु तक
16.	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छांटे गए जनगणना कर्मचारी(उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	3 वर्ष+ छंटाई से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि और पूर्व सेवा लाभ

(घ) अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ड़) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूसै श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36014/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले

रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

(च) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(छ) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 19.11.2018) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 19.11.2018) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

(ज) स्पष्टीकरणः भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों अथवा नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए गए हों, किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ख) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(ग) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(ड़) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(च) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(झ) एक मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 19.11.2018) को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसै, जिन्होनें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने पर भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष मानद् स्नातक प्रमाणपत्र अथवा नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र समूह 'ख' पदों के लिए लागू नहीं है।

(ञ) 1994 की अपील संख्या 731-69 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.02.1995 के निर्णय के अनुसार जनगणना से संबंधित छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए भारत के महापंजीयक के कार्यालय में समूह 'ग' पदों के लिए आयु में छूट निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होगी :

क. 3 वर्ष + छंटनी से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि

ख. पूर्व सेवा का लाभ

(ट) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुपः

(क) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शादि/ भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को, सामान्य(अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांग व्यक्ति(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 (1996 का।) के अधीन जारी किया

गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है । इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 19.11.2018 होगी ।

(ग) अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव / भूपूसै/ शा.दि. दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा ।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

(क) दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता(दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है । चूँकि यह पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी ।

(ख) न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-XI पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है ।

(ग) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा ।

(घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-XII पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा ।

(ड़) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

(च) पैरा 7(क) और 7(ख) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

(छ) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. शैक्षिक योग्यताः (01.01.2019 को)

(क) अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

(ग) दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हताप्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01.01.2019 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण पत्र जैसे इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक/10+2/उच्च माध्यमिक की अंकतालिकाएं/अनंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता का परीक्षा की विज्ञप्ति की अपेक्षा के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उस प्राधिकार(संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख किया गया हो, जिसके द्वारा उसे अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष माना गया हो।

9. आवेदन कैसे करें :

(क) आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् http://ssc.nic.in पर केवल ऑन लाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध। और अनुबंध ।। को देखें।

(ख) ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19.11.2018(अपराह्न 5:00 बजे) है।

10. आवेदन शुल्क :

(क) देय शुल्कः 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।

(ख) शुल्क का भुगतान भा. स्टे. बैं. चालान/भा.स्टे. बैं. नेट बैकिंग अथवा वीजा,मास्टर कार्ड,मएस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा), दिव्यांग व्यक्तियों(पी डब्ल्यू डी) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

(घ) ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा 21.11.2018 (अपराह्न 5:00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 26.11.2018 तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने 21.11.2018 (अपराह्न 5:00 बजे) तक चालान तैयार कर लिया है।

(ड़) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

(च) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैआ किए गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्र

(क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में केन्द्र(केन्द्रों) को दर्शाना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	आगरा(3001),इलाहाबाद(3003),बरेली (3005),गोरखपुर(3007),कानपुर(3009), लखनऊ(3010),मेरठ(3011), वाराणसी (3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23, लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश -211 002 **(http://www.ssc-cr.org)**

2.	गंगटोक (4001),रांची(4205), जलपाईगुड़ी(4408),कोलकाता(4410), मालदा (4412), सिलीगुड़ी (4415), भुवनेश्वर(4604),कटक(4605), सं बलपुर (4609), पोर्ट ब्लेयर (4802)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल), 234/4,आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 **(www.sscer.org)**
3.	बैंगलोर (9001), धारवाड़ (9004), गुलबर्गा (9005), मंगलोर (9008), मैसूर (9009), कोच्चि (9204), कोझिकोड (कालीकट) (9206), तिरुवनंतपुरम (9 211), त्रिशूर (9 212)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन ,कोरमंगला बेंगलुरू ,कर्नाटक-560034 **(www.ssckkr.kar.nic.in)**
4.	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा (6003), गुना (6004), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), खंडवा (6009), रतलाम (6011), सतना (6014), सागर (6015), अंबिकापुर (6201), बिलासपुर(6202) जगदलपुर (6203), रायपुर 6204), दुर्ग (6205)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 **(www.sscmpr.org)**
5.	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग (5401), इम्फाल(5501),चूड़ाचांदपुर(5502), उखरूल (5503),अगरतला (5601), आइजोल (5701)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 **(www.sscner.org.in**
6.	अल्मोड़ा (2001), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003),श्रीनगर(उत्तराखंड)(2004), हरिद्वार(2005), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -

	(2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409)		110003 **(www.sscnr.net.in)**
7.	अनंतनाग (1001), बारामूला (1002), जम्मू(1004), लेह (1005), राजौरी (1006), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), कारगिल (1008), डोडा (1009), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), भटिंडा (1401), जालंधर (1402), पटियाला (1403), अमृतसर (1404), चंडीगढ़ (1601)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 **(www.sscnwr.or g)**
8.	गुंटूर (8001), कर्नूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली(8207),पुडुचेरी (8401), हैदराबाद(8601), निजामाबाद (8602), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **(www.sscsr.gov.in)**
9.	अहमदाबाद (7001) , वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ (7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद(7202), कोल्हापुर(7203), मुंबई(7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208), ठाणे (7210), भंडारा (7211), चंद्रपुर (7212), अकोला (7213), जलगांव(7214), अहमदनगर (7215), अलीबॉग(7216), पणजी (7801)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 **(www.sscwr.net)**

(ख) इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

(ग) आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में उन्हें समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

12. परीक्षा की योजना

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के ब्यौरों का नीचे उल्लेख किया गया है -

परीक्षा की तिथि	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
01.02.2019	I	सामान्य बद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	50	2 घंटे (ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है)
से	II	सामान्य जानकारी	50	50	
06.02.2019 तक	III	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	100	100	

(ख) प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। भाग-III के अलावा सभी प्रश्न अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

(ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

(घ) यदि परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट सूची का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

13. कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रमः

(क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

(ख) सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेलकूद, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

(ग) 40 % और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

(घ)अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान : अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना,समानार्थक,विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी।

(ड़) आशुलिपि में कौशल परीक्षा

(i) जो अभ्यर्थी परीक्षा में आयोग द्वारा यथा निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए अर्हक अंक भी निर्धारित कर सकता है। कौशल परीक्षा अर्हक स्वरूप की होगी और आयोग अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कौशल परीक्षा में अर्हक मानदण्ड निर्धारित करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को आशुलिपि की कौशल परीक्षा में बैठना होगा। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के लिए 100 श.प्र.मि. की गति से और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के लिए 80 श.प्र.मि. की गति से 10 मिनट के लिए अंग्रेजी/ हिन्दी में एक श्रुतलेख दिया जाएगा। इस सामग्री को कंप्यूटर पर लिप्यांतरित करना होगा। लिप्यंतरण के लिए समय निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	कौशल परीक्षा की भाषा	समयावधि (मिनटों में)	ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समयावधि (मिनटों में) जिन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रलिपिक की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है (पैरा-7)
1	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	अंग्रेजी	50	70
2	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	हिन्दी	65	90
3	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	अंग्रेजी	40	55
4	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	हिन्दी	55	75

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते है उसे अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी। ऐसा न करने पर नियोक्ता विभाग अथवा प्राधिकारी द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं मानी जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा का माध्यम जो कोई भी रहा हो, उसे प्रयोक्ता कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा।

(iv) कौशल परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में या आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अन्य केन्द्र(केंद्रों) पर आयोजित की जाएंगी।

(v) कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।

14. दस्तावेज सत्यापन :

क. दस्तावेज सत्यापन हेतु अर्हक सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेंगे, अन्तिम चयन हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र और यदि कोई छूट ली गयी हो तो संगत दस्तावेज आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचना दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के समय दी जाएगी। विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प या तो ऑनलाइन या फिर दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा।

ख. पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन की शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक/चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुबंध -XV पर उपलब्ध है।

15. चयन का तरीकाः

(क) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में और साथ ही, सभी उत्तरवर्ती स्तरों में परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियमित रुप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात www.ssc.nic.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात उन क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटें जिनके न्यायक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (विवरण पैरा-11 पर), देखने की सलाह दी जाती है।

(ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उन पदों का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं अर्थात आशुलिपिक श्रेणी 'ग' अथवा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' अथवा दोनों।

(ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को उन पद(पदों) के लिए कौशल परीक्षा (परीक्षाएं) देने हेतु श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन पद(पदों) के लिए उन्होंने आवेदन किया है।

(घ)कौशल परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक स्वरूप की है। आयोग द्वारा प्रत्येक पद के लिए कौशल परीक्षा में श्रेणीवार अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।

(ड़) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन और मंत्रालयों/विभागों को आबंटन,कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

(च) अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता को अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद का आबंटन कर दिया जाता है तो किसी पद की शारीरिक/चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता/जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शा.दि. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, भूपूसै और शा.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(झ) अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, को आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में

मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, शा.दि. अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

(ञ) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।

(ट) सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

(ठ) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(ड.) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे। परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।

(ढ) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भा.से.दा.) के हैं।

16. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

क. भाग-I में अंक (अर्थात सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्क शक्ति)

ख. भाग-II में अंक (अर्थात सामान्य जानकारी)

ग. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

घ. वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

17. परीक्षा में प्रवेश

(क) उन सभी अभ्यर्थियों, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं, को रोल नंबर दिया जाएगा जोकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए बुलाए जाने के समय उन्हें सूचित कर दिया जाएगा।

(ख) परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र (प्र.प.)/प्रवेश प्रमाण-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(ग) अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए। इस प्रकार के पहचान-पत्रों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कौशल परीक्षा स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ड.) अभ्यर्थी को तीन पासपोर्ट आकार के अपने फोटो अपने साथ लाने चाहिएं जोकि आवश्यकता होने पर परीक्षा निरीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश-पत्र की आयोग की प्रति में लगाने पड़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपने साथ फाटोग्राफ नहीं लाएंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उस फोटोग्राफ की 10 कॉपी परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने पास रखें जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है।

(च) धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	2 वर्ष

3	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
4	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
5	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
6	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
7	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
8	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
9	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
10	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
11	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
12	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
13	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
14	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
16	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
17	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
18	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
19	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

19. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व बल आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार केअवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2015-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय

लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/ अजा/ अजजा /अपिव / शादि/अल्पसंख्यक), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताका निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
(ख)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ग)	अजा/अजजा/अपिव/शादि।/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(घ)	केवल 40% और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(ड.)	आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया

	जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(ज)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(झ)	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ञ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ठ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ड)	परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर ब्लूटूथ सहित मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है। परीक्षा हाल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले ,आगे कार्रवाई की जा सकती है।
(ढ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ण)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(त)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(थ)	शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)

ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)। पंजीकरण के समय दी गयी ईमेल आईडी अभ्यर्थी की यूज़र आईडी होगी।

ग. आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या। यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)

i. वोटर आईडी कार्ड
ii. पैन
iii. पासपोर्ट
iv. ड्राइविंग लाइसेंस
v. स्कूल/कॉलेज आई डी
vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का वर्ष के बारे में जानकारी।

ङ. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होनी चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधली हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

छ. यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गयी है, तो जेपीईजी प्रारूप (10 केबी से 30 केबी) में स्कैन किए गए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई)। अपेक्षित छवि का आयाम लगभग 3.0 सेमी (चौड़ाई)X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले इंप्रेशन वाले आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

ज. यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो जेपीईजी/पीडीएफ प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. प्रारंभिक विवरण
ख. अतिरिक्त जानकारियां
ग. संपर्क विवरण
घ. फोटो हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई)

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज. क्रम संख्या -7: लिंग

झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)

ञ. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। **एसएससी ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन के**

लिए आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नाम होगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 7 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. अब अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें और दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड़ करें।

फ. सूचनाएं सहेजे और संपर्क विवरण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें।

ब. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

भ. क्रम संख्या 19 से 22: उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आपके पास आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या नहीं है, तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे के स्कैन किए गए इंप्रेशन को अपलोड करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार के बांए हाथ का अंगूठा नहीं है, तो दाएं हाथ के अंगूठे की छाप या बाएं पैर की अंगुली या दांए पैर की अंगुली का निशान इस क्रम में उपयोग किया जा सकता है।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। आपके पास ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लेने और ड्राफ्ट सूचनाओं को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी में भेजने की सुविधा है। 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको संबंधित ओटीपी दर्ज करना होगा।

र. प्रारंभिक सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल एक बार बदला जा सकता है। **एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें**।

7. **आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
2. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Steno Grade 'C' &'D' Examination 2018' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।
3. क्रम सं.-1 से 12 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
4. क्रम संख्या-13: यह चुनें कि क्या आपके पास स्टेनोग्राफी का ज्ञान है अथवा नहीं। यदि आपको स्टेनोग्राफी का ज्ञान है तो आपको केवल आवेदन भरने की अनुमति होगी।
5. क्रम संख्या-14: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
6. क्रम संख्या-15: यदि आप एक पूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। **सैनिकों/पूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।**
7. क्रम संख्या-16: क्रम सं. 16 और 16.1 में सूचना आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भरी जाएगी।
8. क्रम संख्या-17: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
9. क्रम संख्या-18: कौशल परीक्षा का माध्यम अर्थात अंग्रेजी या हिंदी का चुनें। कौशल परीक्षण के माध्यम का विकल्प बाद में बदला नहीं जा सकता है।
10. क्रम संख्या-19: उन पदों का चयन करें जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अर्थात i) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' या ii) आशुलिपिक ग्रेड 'घ' या iii) दोनों । जिन पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बाद में उनमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
11. क्रम संख्या-20: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
12. क्रम संख्या-21: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-20 देखें और तदनुसार भरें।
13. क्रम संख्या-22: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
14. क्रम संख्या 23, 24 और फोटो/हस्ताक्षर/बायोमीट्रिक इंप्रेशन के संबंध में जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत: भर जाएगी।
15. "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
16. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें।
17. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
18. शुल्क का भुगतान एसबीआई चालान/एसबीआई नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
19. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-10 का संदर्भ लें।
20. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध-III

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 5-क देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रू के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें अंतिम तिथि को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

इस कार्यालय को उनके आशुलिपि श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2018 परीक्षा उनके शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर_____
नाम _____

स्थानः कार्यालय की मुहर

_____

दिनांकः

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध- IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-5 (छ) देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____ (रैंक)_____ (नाम)_____ (दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध -V

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद नियमावली, 1979 में भूपू सैनिकों की पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अधीन भू.पू.सै. को देय लाभों का/की हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भू.पू.सै. के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं।

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि _____

ख) कार्यमुक्ति की तिथि _____

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि _____

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर _____

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभयर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।
(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_____
पुत्र/पुत्री_____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग*
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1989@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_____जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर

_____

**पदनाम_____

स्थान _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक_____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा २० में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभयर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वगाô द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधकिारिता मंत्रालय के संकल्प सं ---------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कुo ---------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः---------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ---------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

*समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी-I(क):- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध -VIII

प्रारूप-V

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ---------- दिनांक ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----------जन्म तिथि ---------- (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला---------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ---------- राज्य ---------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ---------- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ---------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ---------- (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ---------- %(अंकों में) ---------- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-IX

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ---------- दिनांक ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी---------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* --- ---------- *जन्म तिथि* ---------- *(दि/म/व)* आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला---------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ---------- राज्य ---------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			

16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-X

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ---------- दिनांक ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी---------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---------- *जन्म तिथि* ---------- *(दि/म/व)* आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला---------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ---------- राज्य ---------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे ..... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			

17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XI

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
इंटरमीडिएट/हायर सेकेन्ड्री/12वीं कक्षा	02
प्रमाणपत्र कोर्स	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी।)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

अनुबंध-XII

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फार्मेसी	34
फोटोग्राफी	35

मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48

अनुबंध-XIII

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ....., ग्राम/जिला/राज्य ..... के निवासी हैं, जोकि .....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रामण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-XIV

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं ..... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) ..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) ..... में स्थित .....(केंद्र का नाम) में रोल नं. ..... है।

मेरी शैक्षिक योग्यता ..... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि ..... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-XV

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 4 में प्रकाशित किया जाए)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग(सीमा सड़क)

(सीमा सड़क संगठन)

नई दिल्ली, दिनांक.....2017

अधिसूचना

एस.आर.ओ..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स(सीमा सड़क संगठन) में समूह 'ख'(अराजपत्रित) और समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत सभी पदों के लिए भर्ती के भाग के रूप में शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सा मानकों की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का नाम जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स(सीमा सड़क संगठन), समूह 'ख'(अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों के लिए शारीरिक दक्षता **परीक्षाओं का आयोजन, शारीरिक मापदंड और चिकित्सा मानक नियम, 2017 है।**

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- **इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -**

(क) 'सी.स.सं.' से सीमा सड़क संगठन अभिप्रेत है ।

(ख) 'ग्रेफ' से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स अभिप्रेत है।

(ग) 'रे.चि.अ.' से रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है ।

(घ) 'अ.मं.' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल अभिप्रेत है।

(ड़) 'फोर्स' से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स अभिप्रेत है ।

3. प्रयोज्यता : ये विनियम जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स(सीमा सड़क संगठन) में समूह 'ख'(अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों की सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

4. **शारीरिक दक्षता परीक्षा** -

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की "अनुसूची-I" के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा ग्रेफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा । ये परीक्षाएं

कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जा रहे अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होंगी।

(ii) महिला डी डी केस अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

5. **शारीरिक मापदंड**: ग्रेफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-।।" में उल्लेख किया गया है।

(क) **चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार ग्रेफ(सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की अनुसूची-।।। में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच** : प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को ग्रेफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा ग्रेफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा ग्रेफ केन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ. पी. डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एम आई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) अस्थायी रूप से 'अनफिट'- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को **चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम** द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ **निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल** के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से **उनकी निर्योग्यता अथवा कमियों** के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि ग्रेफ केन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो **कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की** उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए

अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **स्थायी रूप से 'अनफिट'** - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) **चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ ग्रेफ केन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, ग्रेफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम(एम.आर.आर.टी.), जैसा

भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

(x) दृष्टि संबंधी मापदंड- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(XI) शल्य चिकित्सा- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर। ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम - 1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे -15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

(v) डीडी मामलों के संबंध में, शीर्षक 'चिकित्सा परीक्षा' के तहत पिछले पैरा में दर्शाए दिशानिर्देशों वाली ही प्रक्रिया है । डीडी मामलों के लिए महिला अभ्यर्थियों के मामले में, चिकित्सा जांच के दौरान शारीरिक मानक लागू नहीं हैं।

(vi) केंद्र के समीक्षा चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों की फिटनेस को लेकर सभी अनुदेश और पत्राचार उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप किए गए है ताकि उनके अंतर्गत रहने वाले स्टॉफ द्वारा किसी भी शोषण से अभ्यर्थी को बचाया जा सके।

7. **अभ्यर्थिता रद्द करना** यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी । इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. **नियमों के छूट का शक्ति** जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

9. **व्यावृति** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छुट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

मानदंडः- बहुकौशल श्रमिक पायनीर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा												
क्रम संख्या	**कार्यकलाप**	**अधिकतम अंक**	**अंको का आबंटन**									
1	एक मील की दौड़	20 अक	समय	5 मिनट 41 सैकंड से कम	5 मिनट 41 सैकंड से 5 मिनट 50 सैकंड	5 मिनट 51 सैकंड से 6 मिनट	6 मिनट 1 सैकंड से 6 मिनट 10 सैकंड	6 मिनट 11 सैकंड से 6 मिनट 20 सैकंड	6 मिनट 21 सैकंड से 6 मिनट 30 सैकंड	6 मिनट 31 कंड से 6 मिनट 40 सैकंड	6 मिनट 41 सैकंड से 6 मिनट 50 सैकंड	6 मिनट 51 से ऊपर
			अंक	20	16	12	10	8	6	4	2	00

2	पुल-अप्स	10 अंक	पुल-अप्स की संख्या	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या ऊपर
			अंक	0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
3	9 फिट डिच जंपिंग	10 अंक	जो अभ्यर्थी 9 फिट डिच से ऊपर कूदेगा उसे 10 अंक दिए जाएंगे और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे शून्य अंक दिया जाएगा।	
4	20 फिट ऊर्ध्वाधर रस्सी पर चढ़ना	10 अंक	यदि अभ्यर्थी 20 फिट रस्सी पर चढ़ता है और ऊंचाई पर जाकर हुक/गांठ का स्पर्श करता है तथा रस्सी की सहायता से वापस उतरता है उसे 10 अंक दिए जाएंगे, अन्यथा उसे शून्य अंक दिया जाएगा।	
नोट:- (i) शारीरिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 50 अंकों में 40 अंक प्राप्त करने होंगे। (ii) आनुक्रमिक लिखित परीक्षाओं में बैठने के लिए शारीरिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।				

मानदंड: शारीरिक दक्षता परीक्षा (बहु-कौशल श्रमिक पॉयनीर को छोड़कर समूह 'ख' अराजपत्रित पदों/ट्रेडों और समूह 'ग' पदों/ट्रेडों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10 मिनट
नोट- (i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है। (ii) जब भर्ती विभागीय रूप से की जाती है तो आनुक्रमिक लिखित परीक्षाओं में बैठने के लिए एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। (iii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।			

अनुसूची-II

दिशानिर्देश: क्षेत्र-वार कार्मिकों के शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य / क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होसियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपण व चंडीगढ़) , उत्तराखंण्ड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डबार निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरयाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.

छ	सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट	2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दद्क पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा)	2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामाकंन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2A

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2A की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को पूरा करेगा। जीआरईएफ/मेड/2A अधिसूचना की अनुसूची-III के अनुबंध-1 में दिया गया है।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टिओं की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए।

ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।

ग. कि उसका दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।

घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।

ङ. कि वही ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।

च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।

ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।

ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के कोई लक्षण नहीं है जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

8. स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। चौदह से कम दांत।

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप >140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

ऩ. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

प. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

9. **अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार**

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैः-

क. प्टेरिजियम

ख. नेत्र शोध

ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)

घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III

ङ. विपथित नासिका झिल्ली

च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन

छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)

ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर

झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि

ञ. प्लैंटर मस्से

ट. थिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर

ठ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण

ड. गाइनेकोमस्टिया

ढ. रक्त क्षीणता

ण. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली

त. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

<u>छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता</u>

10 निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।

ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)

ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)

घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. कम हकलाना

झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर

ञ. फिमसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. कम स्तर के हैमर की पैरों की अंगुलियों

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेरिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई

विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए। अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

ड्राइवरों और आपरेटरों के लिए दृष्टि संबंधी मानक

11. **वर्णांधता से पीड़ित न हों (CP-II होना चाहिए)** और दोनों आंखों में चश्मे के साथ संशोधित दृष्टि 6/6 स्वीकार्य हो सकती है।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

12 (क) **स्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **अस्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

13. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधिनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

14. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/२ ए में नोट किया जाए।

15. सामान्य प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्या जैसे साधारण घाव, जूते से काटने, सामान्य सर्दी खांसी और इसी तरह की अन्य मामूली बीमारियां जो आमतौर पर केवल कुछ ही दिनों तक रहती हैं, से पीड़ित अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जाता है। इस तरह के नए अभ्यर्थियों को लेने से पहले चिकित्सा बोर्ड को खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहिए कि बिना किसी अंतरंग उपचार के कुछ दिनों में ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है। आम तौर पर, जब तक कि अभ्यर्थी की कुछ तत्कालिक जरूरत न हो जिसे फौरन पूरा करना जरूरी नहीं है तो उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह अपना इलाज कराए और फिर आए। यदि किसी भी प्रकृति की मामूली बीमारी से पीड़ित नए अभ्यर्थी को स्वीकार कर लिया जाता जाती है, तो सा.रि.अ.बल/ एमईडी/2ए के चिकित्सा इतिवृत्ति में इसकी कोई प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।

16. अपेक्षित चिकित्सा मानको को पूरा न करने के कारण निरस्त किए गए सभी मामलों में चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(अनुसूची-III के अनुबंध-I)
सा.रि.अ.बल/ एमईडी/2ए
मूल/प्रतिलिपि

सीमा सड़क संगठन
सामान्य रिजर्व अभियंता बल
प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट
भाग-I
(भर्ती अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है)

अभ्यर्थी के फोटोग्राफ चिपकाए जिसे भर्ती अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना है

विज्ञप्ति संख्या :.....
टी टी केन्द्र :.....
टी टी तारीख :.....
श्रेणी :.....
जीएस संख्या :.....
शाखा :.....
इकाई :.....

1. नाम साफ अक्षरों में :
2. पिता का नाम साफ अक्षरों में :
3. संबंध सहित एनओके का नाम :
4. स्थायी घर का पता साफ अक्षरों में :
   (क) मकान संख्या :
   (ख) गांव/कस्बा :
   (ग) डाक घर :
   (घ) तहसील/ताल्लुका :
   (ङ) तार घर :
   (च) थाना/पुलिस स्टेशन :
   (छ) जिला :
   (ज) राज्य :
   (झ) पिन :
   (ञ) नजदीकी रेलवे स्टेशन :
   (ट) नजदीकी रेलवे स्टेशन से दूरी :
5. राष्ट्रीयता :
6. शैक्षिक योग्यता :
7. विद्यालय के अनुसार जन्म तिथि/ आयु :
8. क्षेत्र (शारीरिक मानक स्थिर करने के लिए) :

दिनांक: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

आरटीजी प्रभारी अधिकारी/
आरओ.आरटीजी
कृते कमांडेंट

भाग-II

(भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है)

1. पहचान चिह्नः

(क)

(ख)

2. **अभ्यर्थी द्वारा घोषणाः-**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि

(क) मुझे इससे पहले सा.रि.अ.बल / सशस्त्र बलों / पैरा सैन्य बलों के लिए कभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य के रूप में निरस्त नहीं किया गया है। मेरे परिवार के सदस्यों में से कोई भी मधुमेह, टीबी, कुष्ठ रोग, मूर्छा,अस्थमा या मानसिक समस्याओं से पीड़ित नहीं है। मेरा किसी भी चोट के लिए कभी ऑपरेशन नहीं किया गया है और न ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा एचआईवी (एड्स वायरस) / हेपेटाइटिस बी या सी के लिए परीक्षण नहीं किया गया है। मैं एसटीडी से पीड़ित नहीं हूं। मैं कान से किसी भी निर्वहन से पीड़ित नहीं हूँ। मेरे गर्दन में कोई बढ़ी हुई ग्रंथियां या सूजन नहीं है। मुझे खांसी या खून के थूकने या वजन घटने के साथ लंबे समय से बुखार नहीं हुआ है। मैं जोड़ों के दर्द से पीड़ित नहीं हूँ। मुझे रात्रि अंधापन नहीं है। मैं मिर्गी (मुर्छा)से पीड़ित नहीं हूँ।

(ख) मैं इसके अतिरिक्त प्रमाणित करता हूँ कि

(i) मेरी सा.रि.अ.बल में भर्ती के लिए आवश्यक मानक के अनुसार चिकित्सकीय जांच जांच की जाएगी।

(ii) किसी भी प्रकार के मौसम में, दुनिया के किसी भी हिस्से में सेवा करने वाले व्यक्ति की सेवा अपेक्षाओं के कारण सिविल चिकित्सा मानकों की तुलना में सा.रि.अ.बल के लिए चिकित्सा मानक भिन्न है।

(iii) भर्ती चिकित्सा अधिकारी और सीमा सड़क संगठन / सशस्त्र बलों के अन्य विशेषज्ञ मुझे योग्य / अयोग्य घोषित करने के ऐसे मामलों के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं।

(अभ्यर्थी के बाएं हाथ के अंगुठे का निशान) (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

3. शारीरिक विकास

(क) ऊंचाई.....से.मी. (ख) वजन.....कि.ग्रा.

(ग)छाती (i)निःश्वास.....से.मी.(ii) विस्तार की सीमा.....से.मी.

4. त्वचा परीक्षण

5. मानसिक क्षमता और भावात्मक स्थिरता

6. संचालन पद्धति

(क) ऊपरी अंग (ख) निचला अंग (ग)गर्दन (घ)धड़

7. **दांत**

(क) दांतों की संख्या _____ (ख) मसूड़ों की स्थिति _____

(ग) जबड़े बंद होने पर दांतों की कोई अपूर्ण स्थिति _____

8. **आखें** सीपी

(क) दूरस्थ दृष्टि

	दाएं	बाएं
चश्मा के बिना		
चश्मा के साथ		

(ख)पास की दृष्टि

दाएं	बाएं

(ग) ट्रेकोमा, इसकी जटिलताओं या किसी अन्य बीमारियों अर्थात कॉर्नियल अस्पष्टता, मोतियाबिंद, अक्षिदोलन इत्यादि का कोई साक्ष्य।

9. कान नाक गला

(क) सुनाई देना (i) दाएं कान _____ (ii) बाएं कान _____

(ख) ओटिटिस मीडिया का कोई साक्ष

(ग) नाक तथा गला

10. हृदय प्रणाली

(क) पल्स ____ / मिनट (ख) बीपी ____ एचजी की मि.मी. (ग) हृदय ध्वनि ___ (घ) सरसराहट ___

11. पेट

(क) यकृत (ख) तिल्ली (ग) हर्निया / अण्डकोष-वृद्धि

12. मूत्र तंत्र

(क) मूत्र (i) अन्नसार _____ (ii) सकर _____ (iii) एसपी ग्रेड _____

(बी) एसटीडी की असामान्यताएं / साक्ष

13. (क) एचआईवी तथा हेपेटाइटिस बी या सी की स्थिति: पता है / पता नहीं

(ख) रक्त वर्ग : .....

14. सामान्य कमी निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है : .....

15. बीमारी / दिव्यांगता / शारीरिक मानकों के नीचे :

_____

_____

_____

16. चिकित्सा श्रेणी :

स्थानः (चिकित्सा अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)

दिनांकः

भाग-III

1. समीक्षा विवरण

समीक्षा तिथि…….

निम्नलिखित द्वारा योग्य/अयोग्य घोषित किया गया

.....

वर्गीकृत / वर्गीकृत विशेषज्ञ

.....

एमएच खड़की सीएच (एससी) पुणे में

2. अंतिम चिकित्सा श्रेणी

दिनांक..... (समीक्षा चिकित्सा अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)